"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 88] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 मार्च 2016 — फाल्गुन 25, शक 1937

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-10/2013/10-1/वन. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 03-10-2014 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा नियम, 2014 दिनांक 18-09-2014 के नियम 3 (क) में निम्नानुसार संशोधन करते हैं :-

3 (क) "प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) में वस्तुनिष्ठ प्रकार के चार प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन से संबंधित, द्वितीय प्रश्न पत्र भाषा (हिन्दी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी), तृतीय प्रश्न पत्र बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषणात्मक योग्यता एवं तार्किक परीक्षण तथा चतुर्थ प्रश्न पत्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण के होंगे, द्वितीय चरण में साक्षात्कार संपन्न होगा."

के स्थान पर,

3 (क) "प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) में वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो प्रश्न पत्र होंगे, जिनमें प्रथम पत्र - सामान्य अध्ययन, भाषा (हिन्दी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी) एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक योग्यता तथा द्वितीय प्रश्न पत्र - विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण के होंगे, द्वितीय चरण में साक्षात्कार संपन्न होगा." प्रतिस्थापित किया जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2016

क्रमांक एफ 2-10/2013/10-1/वन. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14-03-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 14th March 2016

NOTIFICATION

No. F 2-10/2013/10-1/Forest.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendments in Rule (3)(a) of Chhattisgarh Forest Service (Combined) Examination Rules, 2014 dt. 18-09-2014 published in Chhattisgarh Gazette dt. 03-10-2014,

Instead of,

(3)(a) "First stage (written examination) shall consist of four papers of Objective type, in which the first paper shall relate to General Studies, second paper to Language (Hindi, English and Chhattisgarhi), third paper to IQ Test, Analyitcal Skills and Test of Reasoning, and fourth paper to Science, Technology and Environment. The second stage shall consist of Interview."

(3)(a) "First stage (written examination) shall consist of two papers of Objective type, in which the first paper shall relate to General Studies, Language (Hindi, English and Chhattisgarhi), IQ Test, Analyitcal Skills and Test of Reasoning, and second paper to Science, Technology and Environment. The second stage shall consist of Interview." shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

परिशिष्ट-एक

"परीक्षा योजना"

(1) यह संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा निम्नानुसार होगी :-

(i) छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा - प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा - द्वितीय चरण (साक्षात्कार) हेतु अभ्यर्थियों का अर्हता निर्धारण किया जाएगा.

(ii) द्वितीय चरण (साक्षात्कार) -

लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के अनुसार विभिन्न श्रेणियों की सेवाओं तथा पदों के लिये अभ्यर्थियों का चयन अधिमान्यता के आधार पर किया जाएगा.

(2) लिखित परीक्षा :-

(i) प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) में वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो प्रश्न पत्र निम्नानुसार होंगे :-

प्रश्न पत्र-1 सामान्य अध्ययन, भाषा (हिन्दी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी) एवं बुद्धिमता परीक्षण, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक योग्यता

प्रश्नों की संख्या 150 प्रश्न, 2:30 घंटे, अंक 300

प्रश्न पत्र-2 विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण

प्रश्नों की संख्या 150 प्रश्न, 2:30 घंटे, अंक 300

(ii) प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये पांच संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स, द और इ में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/निकटतम सही होगा, अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये अ, ब, स, द या इ में से केवल एक पर चिन्ह लगाना होगा.

(iii) प्रत्येक सही उत्तर के लिए दो अंक प्राप्त होंगे. अभ्यर्थियों केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दें जिनके संबंध में वे आश्वस्त हों कि वह उत्तर सही है. क्योंकि प्रत्येक गलत उत्तर पर एक अंक कम किया जाएगा. [कुल प्राप्त अंक (2R-W) होंगे जहां R= सही उत्तरों की संख्या एवं W= गलत उत्तरों की संख्या]

(iv) भाषा (हिन्दी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी) से संबंधित प्रश्न उसी भाषा में होंगे, इनका अनुवाद उपलब्ध नहीं होगा. शेष प्रश्न हिन्दी तथा अंग्रेजी में होंगे.

(v) लिखित परीक्षा के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में अर्हकारी अंक केवल 23 प्रतिशत होंगे.

(3) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, विज्ञापन में दी गई रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुनी तथा प्रवर्गवार अंतिम अभ्यर्थी के बराबर अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण (साक्षात्कार) के लिए अर्ह माना जाएगा. केवल वे अभ्यर्थी, जिन्हें आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे.

(4) साक्षात्कार :- साक्षात्कार के लिये 75 अंक होंगे (इसके लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं होंगे).

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.